(325)

न्यायालय श्रीमान म•प्र• राजस्व परिषद ग्वालियर म•प्र• केम्प उज्जैन
प्र•क्र• R 2765 I/14

R. M.
श्री आर.के.शर्मा
अभिभाषक द्वारा
पेश
30/7/2014
05

मोहम्मद रफीक पिता हाजी अब्दुल रहीम जी,
आयु वयस्क, धंधा खेती, निवासी ईदगाह के पास
खानपुरा, मन्दसौर म•प्र• --- निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1•श्रीमति उषादेवी पति प्रहलाद गर्ग धंधा गृहकार्य,
निवासी पियूष ट्रेडर्स नई आबादी, महू-नीमच रोड़,
मन्दसौर म•प्र•
--- रेस्पोडेंट्स
2•म•प्र•राज्य

2682
आज
19-8-14

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म•प्र•भू•रा•संहिता

श्रीमान राजस्व निरीक्षक भूत-1 मंदसौर के द्वारा
दिनांक 19•06•2014 की सिमाकंन की कार्यवाही से
परिवैदित होकर जो की तहसील न्यायालय के प्रकरण क्र
67 अ/12/2013-14 मे की गई है।

माननीय महोदय,

निगरानी के आधार

1• यह कि, योग्य अधिनस्थ राजस्व अधिकारी के द्वारा इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर ध्यान नही दिया गया कि राज्य शासन का यह स्टैंडिंग आर्डर है कि प्रत्येक वर्ष मे 15 जून के बाद सिमाकंन का कार्य नही किया जावें। इस प्रतिबंध के बावजुद भी तहसीलदार मंदसौर एवं राजस्व निरीक्षक भूत क्र•01 के द्वारा कस्बा मंदसौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 273/1 रकबा 0•627, सर्वे क्र• 273/3 रकबा 0•200आरी भूमि का सिमकांन आवेदन पत्र रिस्पोडेंट क्र•01 उषा-देवी के द्वारा दिया गया था उसको ग्राह्य करने तथा उस पर से सिमाकंन का आदेश पारित करने तथा तत्पश्चात तथा कथीत सिमाकंन की कार्यवाही सम्पादित करने मे विधिवत तथ्य संबंधी त्रुटि की है।

2• यह कि, योग्य अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया गया सिमाकंन नियमो के विरूद्ध है। सिमाकंन के पूर्व निगरानीकर्ता को लिखित मे

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2745-एक/14 **जिला** - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। (हस्ताक्षर) **प्रशासकीय सदस्य**	